



आदेश

आभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित एवं न्यायालय द्वारा निर्धारित विधियों को द्वितीय पक्ष लगातार अनुपस्थित रहें। अतः सिर्फ प्रथम पक्ष को देखते हुए आदेश पारित कला उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः एकल वाद की कार्रवाई बिना किसी प्रभावकारी आदेश के समाप्त की जाती है।

लेखापति


अनु० दण्डाधिकारी
चाण्डल


अनु० दण्डाधिकारी
चाण्डल

१